Research Reinforcement | A Peer Reviewed International Refereed Journal | ISSN 2348-3857
Impact Factor (IIJIF): 5.454 | Vol. 8, Issue 1 | May. 2020 - October 2020 | pp. 129-132

प्राण व दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार : संवैधानिक परिप्रेक्ष्य

ISSN 2348-3857

डॉ. पूर्णिमा कौशिक
सह आचार्य, राजनीति विज्ञान
गौरी देवी महाविद्यालय, अलवर (राजस्थान)

शोध सारांश

आत्म संरक्षण मनुष्य की सबसे प्रबल आकांक्षा है और उसकी सब क्रियाओं का प्रधान प्रेरक तत्व और यह राज्य के विकास का भी एक उत्तरदायित्व तत्व रहा है क्योंकि मनुष्य के जीवन की सुरक्षा उसका प्रधान दायित्व है। अराजकता को समाप्त करना राज्य की उत्पत्ति का प्रमुख कारण रहा है। आज जीवन का अधिकार या प्राण का अधिकार बहुत व्यापक हो गया। वर्तमान में जीवन के इस अधिकार में गरिमामय जीवन जुड़ गया है अर्थात आज प्राण का अधिकार व्यक्ति को गरिमामय एवं सम्मानपूर्वक जीवन जीने का अधिकार देता है। भारतीय संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकारों के अन्तर्गत अनु. 21 में हमे प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का मौलिक अधिकार प्रदत्त है। प्राण का अधिकार बाकी सभी मौलिक एवं बुनियादी अधिकारों को समेटे हुये है। इस प्रकार यह अधिकार सिद्धान्ततः व्यक्ति को वह सारी परिस्थितियॉ एवं अवसर उपलबध कराता है जिससे व्यक्ति सम्मानपूर्वक व गरिमामय जीवन जी सके, परन्तु वास्तविक या व्यवहारिक धरातल पर देखें तो किन्हीं कारणों से सभी नागरिक इस अधिकार का निर्भय होकर प्रयोग नहीं कर पा रहे है। उसके कारण चाहे अवैध गिरफ्तारी का हो, महिला उत्पीड़न से संबंधित कानूनों के दुरूपयोग का हो, हाल ही की घटना जिसमें अफवाह फैलने के कारण देश के विभिन्न राज्यों से असम के लोगों के पलायन का हो। प्रस्तुत शोध पत्र में प्राण के अधिकार के संवैधानिक पहलू, व्यवहारिक पक्ष एवं न्यायिक निर्णयों के संबंध में विवेचित करने का प्रयास किया गया है।

संकेताक्षर : *मानवाधिकार, सामाजिक समझौता, अनुच्छेद 21*

प्रस्तावना

राजनीति का एक चिरस्थायी मुद्दा है व्यक्तिगत अधिकार एवं राज्य की सत्ता के बीच सही संतुलन स्थापित करना जहाँ एक ओर राज्य में स्थायित्व एवं व्यवस्था आवश्यक है, वहीं दूसरी ओर व्यक्तित्व विकास और समृद्ध एवं खुशहाल जीवन व्यतीत करने के लिये व्यक्तिगत अधिकारों का होना नितांत आवश्यक है। इसीलिए साधारणतया किसी भी अत्याधुनिक राजनीतिक व्यवस्था का प्रजातांत्रिक या सत्तावादी होना वहॉ की जनता के लिये सुनिश्चित मानवाधिकार के मापदण्ड पर ही तय किया जाता है।

यद्यपि मानवाधिकारों की व्याख्या करना कठिन है। समय, काल, परिस्थितियों के अनुसार ये बदलते रहते है और विवाद निरंतर चलता रहता है। इस अवधारणा को सर्वाधिक प्रभावित करने वाला तत्व यह है कि इसको समझना भले ही कठिन हो लेकिन इसकी उपेक्षा करना संभव नहीं है। क्योंकि अत्याचार एवं शोषण की गंभीरता को नहीं नकारा जा सकता। शरीर की त्वचा का रंग काला हो सकता है, गोरा हो सकता है। इसी तरह व्यक्ति का मानसिक स्तर भी उच्च एवं निम्न श्रेणी का हो सकता है। लोगों के जीवन जीने का ढंग भी साधारण या आधुनिक हो सकता है लेकिन इन सभी के साथ एक सच यह भी जुड़ा है कि मानव को मानव होने के अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता है। डेविड सेलबी ने कहा है कि मानवाधिकार सभी व्यक्तियों से सम्बन्धित है और पूरे विश्व में सभी के द्वारा अधिकृत है क्योंकि वे मानव है। इन्हें अर्जित नहीं किया जा सकता न ही लिया और उत्तराधिकार में प्राप्त किया जा सकता है और न ही किसी संविदात्मक उद्यम के द्वारा निर्मित किया जा सकता है। मानवाधिकारों की प्रस्तावना में इन्हें अन्तर्निहित, अहस्तांतरणीयता और वैश्विकता के गुणों के रूप में स्वीकारा है। **जौक डानेली** ने इन्हें सभ्यता के नये सूत्र, मापदण्ड और स्तरों के रूप में परिभाषित किया है।[1] सभी मानवाधिकार सभी को मिले

यह इस शताब्दी का उद्देश्य है और ये वैश्विक स्तर पर स्वीकृत एवं सम्मानित है।

वर्ष 2018 में यू.डी.एच.आर. की 70वीं वर्षगांठ मनाई गयी इसके संदर्भ में 10 दिसम्बर 2017 से इसके लिये जागरुकता शुरू की गई है।[2] इस अवसर पर संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव एन्टोनियो गुटेरास ने कहा की यू.एन.ओ. के तीन स्तम्भो शांति, सुरक्षा में तीसरा स्तम्भ मानवाधिकार हैं। यू.एन. के मानवाधिकार हाई कमिश्नर जैद राद अल हुसैन का कहना है कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद यू.डी.एच.आर. के रूप में विश्व को महत्वपूर्ण विरासत है। लेकिन इसकी जानबूझकर या इच्छित रूप में अवहेलना की जा रही है और हमे इस भ्रम में बिल्कुल नहीं रहना चाहिये कि मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा को चुनौतियॉ नहीं है, विभिन्न क्षेत्रों से धमकियाँ मिल रही है एवं भय का माहौल है।[3]

18वीं सदी में राज्य की उत्पत्ति का सामाजिक समझौता सिद्धान्त जीवन की रक्षा के लिये अस्तित्व में आया। हाब्स के अनुसार प्रकृति ने सब मनुष्यों को समान बनाया है। शारीरिक और मानसिक शक्तियों के संयोग से इस सिद्धान्त की पुष्टि होती है। कोई शारीरिक बल से शक्तिशाली तो कोई मानसिक द्रष्टि से अधिक बलवान हो सकता है। इस समानता के कारण मनुष्यों में संघर्ष छिड़ जाता है। सब की सबके विरुद्ध लड़ाई की स्थिति रहती है। इसलिये इस अवस्था में किसी उद्योग या कला-कौशल का विकास नहीं हो सकता क्योंकि मनुष्यों को यह भरोसा नहीं की उससे प्राप्त हो सकने वाले लाभ का उपभोग वो कर सकेगे।

हाब्स का व्यक्ति जीवन रक्षा या आत्मरक्षा के अधिकार को सुरक्षित रखने के लिये लेवियाथन को समस्त अधिकार सौंपकर एक निरंकुश सम्प्रभुता को स्थापित करता लेकिन उसमें व्यक्ति के जीवन का अधिकार व्यक्ति के पास है अगर वह (लेवियाथन) व्यक्ति की आत्म रक्षा के अधिकार का हनन करता है तो व्यक्ति के पास अपने शासक को बदलने का अधिकार है इसी प्रकार लॉक ने तीन प्रकार के प्राकृतिक अधिकारों की विवेचना की जीवन, स्वतंत्रता एवं सम्पत्ति का अधिकार और राज्य को उसका ट्रस्टी बनाया अर्थात वह इन अधिकारों की रक्षा के लिये एक संरक्षक का कार्य करेगा।

प्राकृतिक दशा में लॉक के मतानुसार सब व्यक्तियों को तीन प्रकार के - जीवन, स्वतंत्रता एवं सम्पत्ति के अधिकार प्राकृतिक नियमों के द्वारा प्राप्त थे। इसलिए लॉक को आधुनिक उदारवाद का जनक माना जाता है। इसलिए यह माना जाता है कि राजनीतिक संस्थाओं का अस्तित्व व्यक्ति की स्वतंत्रता एवं सामान्य भलाई के लिए होना चाहिए। जहॉ फ्रांस की क्रान्ति ने मानवाधिकारों को स्थापित किया वहीं अमेरिका की स्वतंत्रता की घोषणा में उन्हें सामान्य भलाई के लिए संविधान में स्थान दिया गया।[4]

लॉक का मानना है कि आत्म संरक्षण व्यक्ति की सबसे प्रबल आकांक्षा है और उसकी सबकी क्रियाओं का प्रधान प्रेरक तत्व है।

आज जीवन का अधिकार या प्राण का अधिकार बहुत व्यापक हो गया। वर्तमान में जीवन के इस अधिकार में गरिमामय जीवन जुड़ गया है अर्थात आज प्राण का अधिकार व्यक्ति को गरिमामय एवं सम्मान पूर्वक जीवन जीने का अधिकार देता है। भारतीय संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकारों के अन्तर्गत अनु. 21 में हमे प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का मौलिक अधिकार प्रदत्त है, जिसे 44वें संविधान संशोधन के बाद आपातकाल में भी निलम्बित नहीं किया जा सकता। जहॉ एक ओर 1950 में सर्वोच्च न्यायालय ने ए.के. गोपालन के केस में इस अधिकार के संबंध में रूढ़िवादी दृष्टिकोण अपनाकर इसे संसद के अधिकार क्षेत्र पर छोड़ दिया, वहीं 1980 के बाद सर्वोच्च न्यायालय ने जीवन के अधिकार को गरिमामय बनाने के लिये प्रगतिशील निर्णय दिये। चाहे वह 1978 का मेनका गाँधी बनाम भारत संघ वाद जिसमें यह माना गया की 'प्राण का अधिकार' केवल भौतिक अस्तित्व तक ही सीमित नहीं बल्कि गरिमामय जीवने जीने का अधिकार है। इसी प्रकार 2008 का दीपक बजाज केस जिसमें सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्धारित किया की इस अधिकार में सम्मानपूर्वक जीवन जीने का अधिकार भी समाहित है। के.के. वेणुगोपाल (संविधान विशेषज्ञ) ने संक्षेप में अपने एक लेख में अनु. 21 के अन्तर्गत जुड़े उन सभी अधिकारों को विवेचित किया है जो इस प्रकार है- 1. कानूनी सहायता का अधिकार 2. विदेश जाने का अधिकार 3. सम्मानपूर्वक जीवन जीने का अधिकार 4. आवास का अधिकार 5. एकान्तता का अधिकार 6. स्वच्छ एवं स्वास्थ्यवर्धक पर्यावरण का अधिकार 7. महिलाओं के यौन शोषण के प्रतिकार का अधिकार। इन सभी अधिकारों को सर्वोच्च न्यायालय ने अपने निर्णयों के अन्तर्गत निर्वचित किया है। इस प्रकार प्राण का अधिकार बाकी सभी मौलिक एवं बुनियादी अधिकारों को समेटे हुये है। इस प्रकार यह अधिकार सिद्धान्तत: व्यक्ति को वह सारी परिस्थितियाँ एवं अवसर उपलब्ध कराता है जिससे व्यक्ति सम्मानपूर्वक व गरिमामय जीवन जी सके, परन्तु वास्तविक या व्यवहारिक धरातल पर देखें तो किन्हीं कारणों से सभी नागरिक इस अधिकार का निर्भय होकर प्रयोग नहीं कर पा रहे है। उसके कारण चाहे अवैध गिरफ्तारी का हो, महिला उत्पीड़न से संबंधित कानूनों के दुरूपयोग का हो, उस

घटना से ही जिसमें अफवाह फैलने के कारण देश के विभिन्न राज्यो से असम के लोगों का पलायन हुआ।

अनुच्छेद 21 यह उपबन्धित करता है कि, ''किसी व्यक्ति को उसके प्राण या दैहिक स्वाधीनता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जायेगा अन्यथा नहीं। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार सभी अधिकारों में श्रेष्ठ है और अनु. 21 इसी अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है।'' अनु. 21 विधायिका तथा कार्यपालिका दोनों के विरुद्ध संरक्षण प्रदान करता है।

ए.के. गोपाल बनाम मद्रास[5] के मामले में निवारक निरोध अधिनियम 1950 की धारा 14 की वैधता को चुनौती दी गई थी। जिसके द्वारा किसी भी व्यक्ति की गिरफ्तारी की वैधता की जाँच करने की न्यायालय की शक्ति ले ली गई थी। उच्चतम न्यायालय अनु. 19 (5) में प्रदत्त समस्त भारत में भ्रमण की स्वतंत्रता को प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता को आवश्यक तत्व मानते हुये अधिनियम की धारा 14 को अवैध घोषित किया था। मेनका गाँधी बनाम भारत संघ[6] मामले में उच्चतम न्यायालय ने अनु. 21 में प्रयुक्त दैहिक स्वतंत्रता के क्षेत्र को विस्तृत किया। इसमें पिटिशनर को 7 दिन के भीतर अपना पासपोर्ट वापिस करने का आदेश दिया गया, पिटिशनर पासपोर्ट वापिस लेने के कारण न बताते हुए और उसे सुनवाई का अवसर न देने के कारण न्यायालय ने इसे न्यायोचित नहीं माना। न्यायाधिपति श्री भगवती ने बहुमत का निर्णय सुनाते हुए कि अनु. 21 में प्रयुक्त 'दैहिक स्वतंत्रता' पदावली का सामान्य एवं स्वभाविक अर्थ लगाना चाहिये। अनु. 21 में प्रयुक्त 'दैहिक स्वतंत्रता' शब्दावली अत्यंत व्यापक अर्थ रखती है और इसके अन्तर्गत बहुत से अधिकार सम्मिलित है जिनसे व्यक्ति की दैहिक स्वतंत्रता का गठन होता है और उनमें से कुछ को विशिष्ट मूल अधिकारों का दर्जा दिया गया है। इस प्रकार उच्चतम न्यायालय ने अनु. 21 को एक नया आयाम दिया और इसके क्षेत्र को अत्यन्त विशद बना दिया। इसमें न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया कि प्राण का अधिकार केवल भौतिक अस्तित्व तक ही सीमित नहीं है, वरन इसमें मानव गरिमा को बनाये रखते हुये जीने का अधिकार है। उच्चतम न्यायालय ने बाद में अपने विभिन्न निर्णयों में मानव गरिमा के साथ जीने के अधिकार का अनुसरण किया।

इस प्रकार मेनका गाँधी बनाम भारत संघ मामले में उच्चतम न्यायालय ने ए.के. गोपालन मामले में दिये अपने निर्णय को पूर्ण रूप से उलट दिया और यह निर्णय दिया कि अनु. 21 न केवल कार्यकारिणी के कृत्यों के विरुद्ध वरन विधायिका के विरुद्ध भी संरक्षण प्रदान करता है। विधान मण्डल द्वारा पारित किसी विधि के अधीन प्रक्रिया, जो किसी व्यक्ति को उसके प्राण एवं दैहिक स्वाधीनता से वंचित करती है, उचित, युक्ति-युक्त एवं नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्त के अनुरूप होनी चाहिये।

अनु. 21 में नागरिक शब्द का प्रयोग न करके व्यक्ति शब्द का प्रयोग किया गया है। इसका तात्पर्य यह है कि अनु. 21 का संरक्षण नागरिक एवं विदेशी सभी प्रकार के व्यक्तियों को प्राप्त है।

हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय की खण्डपीठ ने सर्वसम्मति से निजता के अधिकार को जीवन के अधिकार में निहित माना है।[7] न्यायविद के.एस. पुट्टास्वामी बनाम भारत संघ वाद में जिसमें आधार योजना की बायोमैट्रिक पहचान को निजता के अधिकार के अन्तर्गत मानते हुये चुनौती दी गई थी और यह अभिनिर्धारित किया गया कि निजता का अधिकार एक मौलिक अधिकार है और अनु. 21 का अभिन्न अंग है। यद्यपि न्यायविद सुब्बाराव का मानना है कि निजता के अधिकार को अभिव्यक्त रूप से मौलिक अधिकार के रूप में स्वीकृत नहीं है[8] तथापि यह अनु. 21 का एक आवश्यक आधार है।

निष्कर्ष

राज्य का प्रमुख दायित्व मानव जीवन की सुरक्षा है। साथ ही किसी देश की प्रजातंत्रीय स्वरूप एवं सत्तावादी स्वरूप का आधार वहॉ की जनता के लिए सुनिश्चित मानवाधिकारों विशेषकर मानव जीवन की सुरक्षा साथ ही गरिमापूर्ण जीवन से तय किया जाता है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 यह उपबंधित करता है कि किसी भी व्यक्ति को उसके प्राण या दैहिक स्वाधीनता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जायेगा अन्यथा नहीं। अनुच्छेद 21 विधायिका तथा कार्यपालिका दोनों के विरुद्ध संरक्षण प्रदान करता है। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा विभिन्न महत्वपूर्ण मामलों में इस प्रकार का संरक्षण प्रदान किया गया और अभिनिर्धारित किया गया कि प्राण या जीवन का अधिकार केवल भौतिक अस्तित्व तक सीमित नहीं वरन इसमें मानव गरिमा को बनाये रखते हुए जीवन का अधिकार समाहित है। और यह अधिकार नागरिकों एवं विदेशी दोनों को प्राप्त है। इस प्रकार प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार अपने आप में बहुत ही व्यापक है जिसमें न केवल जीवन की सुरक्षा वरन गरिमापूर्ण जीवन जीने की सभी परिस्थितियॉ भी निहित है। हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय की खण्डपीठ ने सर्वसम्मति से निजता के अधिकार को जीवन के अधिकार में निहित माना है। आज की परिस्थितियों में प्राण व दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार बहुत ही व्यापक हो गया है इसीलिए जौक डानेली ने इन्हें सभ्यता के नये सूत्र, मापदण्ड और स्तरों के रूप में परिभाषित किया है।

ISSN 2348-3857

संदर्भ ग्रन्थ सूची

1. डब्ल्यू डब्ल्यू डब्ल्यू.एकेडमिया डाट एड्यू, ह्यूमन राईटस/ 1431487, ह्यूमन राईटस : ए न्यू स्टैण्डर्ड ऑफ सीवीलाईजेशन, जैक डानेली
2. डब्ल्यू डब्ल्यू डब्ल्यू.अन ओराजी, इवेंटस-ह्यूमन राईटस, 10 दिसम्बर 2017
3. डब्ल्यू डब्ल्यू डब्ल्यू.अन ओराजी, इवेंटस-ह्यूमन राईटस, 10 दिसम्बर 2017
4. कैसेस, एण्टोनियो, ह्यूमन राईटस इन चेचिंग वर्ल्ड, केम्ब्रिज पॉलिटी प्रेस, 1999, पृ.सं. 24
5. पाण्डेय, जय नारायण, भारत का संविधान, सैन्ट्रल लॉ एजेंसी, इलाहाबाद, 1990, पृ.सं. 79
6. उपर्युक्त, पृ.सं. 184-185
7. एचटीटीपीएस:// डब्ल्यू डब्ल्यू डब्ल्यू डाट इएफएफ डाट ओराजी-दीपलिंक्स 2017/08, अगस्त 28, 2017
8. एचटीटीपीएस://डब्ल्यू डब्ल्यू डब्ल्यू डाट इएफएफ डाट ओराजी-दीपलिंक्स 2017/08, अगस्त 28, 2017